Ncu

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–17/विविध 1–25/2022–   /पटना, दिनांक–

डा० संजय कुमार, सह–प्राध्यापक एव विभागाध्यक्ष, मनोरोग विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को अपने निजी खर्च पर दिनाक–**04.04.2026 से 20.04.2026** तक की अवधि मे विदेश (Australia) की यात्रा के लिए निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2 डा० कुमार, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।

3 डा० कुमार, इस यात्रा मे होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।

4. डा० कुमार, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यो के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेगे।

5 डा० कुमार, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगे।

6 डा० कुमार, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार–पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–17/विविध 1–25/2022 – 53(17)   **/पटना, दिनांक–** 14.01.26

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्राचार्य/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/डा० संजय कुमार, सह–प्राध्यापक एव विभागाध्यक्ष, मनोरोग विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Renu Kumari 13/01/26
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Roumish sir/Passport